

वारीक  
दिवस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़  
हूकम या कार्यवाही भय इनिशियल्स जज

01/01/25 सुभाष कुमारी क्वथे पेश  
पीछास्येन अधिकारी अन्य कार्यों में  
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 23/12/25  
को पेश हो।



25/10/25  
पीछास्येन अधिकारी अन्य कार्यों में  
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 21/11/25  
को पेश हो।




2/12/25 पत्रावली पेश सुभाष उपखण्ड अधिकारी  
शुभाषी रानीलाल हेतु दिनांक 13/11/26 को  
पेश हो।



13/01/26

पत्रावली पेश सुभाष उपखण्ड  
वनकी काम कर सुभाषी मंडी  
कारखाने कारखानेवादी दिनांक 20/02/26  
को पेश हो।

20/02/26



पत्रावली पेश वकीलवादी व  
स्वाध्यायी अनुपस्थित है। बार-बार  
आपराज विलाने जाने के बाद भी  
वकीलवादी व स्वाध्यायी अनुपस्थित  
रहे अतः प्रकरण पत्रावली अदम धजिरी  
एवं अदम धरणी में खारिज की जाती  
है। पत्रावली नम्बर ( ) से कम होकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़  
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नामा व तारीख  
अहकाम तो इस  
हुक्म की तारीख में  
मारी हुय।

बाद प्रति जमा ले टम मण्डार ही

500

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ़  
जिला अलवर (राज०)

सुसम या मार्यवाही

कैलाश बलाई बनाम अधिशाथी अभियन्ता पी० अम्बू० डी० राजगढ़  
प्रार्थना पत्र संख्या— 02/80/2024

02.04.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील पार्थी द्वारा अप्राथीगण के निरुद्ध प्रस्ताव का निवेदन किया कि आराजी खसरा संख्या 613/0.13, 614/0.13, 625/0.06, 626/0.11, 612/0.15 वाके ग्राम स्यालूता तहसील टहला जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी के किसी विशिष्ट भाग में होकर कोई नवीन रास्ता कायम कर सड़क निर्माण न करें न ही प्रार्थीगण की आराजी में मिट्टी खोदे, नप ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग-उपभोग में कोई मजाहमत पैदा करें। अन्त में विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अप्राथीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी से इन प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। उक्त भूमि के संबंध में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्राथीगण को विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में अप्राथीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्राथीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 613/0.13, 614/0.13, 625/0.06, 626/0.11, 612/0.15 वाके ग्राम स्यालूता तहसील टहला जिला अलवर में तहसीलदार टहला की मौके की रिपोर्ट आने तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें। तहसीलदार टहला को मौका रिपोर्ट के लिए तहरीर जारी हो। अप्राथीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्टर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबंध में अप्राथीगण कोई आक्षेप हो तो दिनांक 09.05.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

88E  
उपखण्ड अधिकारी राजगढ़  
जिला-अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हकूम या कार्यवाही पर इतिहासिक नम

जायत अ नालिख  
अदालत जी हुक  
हकूम की जाहील में  
जाती हुर।

01/08/25  
पितासीन अधिकारी अन्य कार्यों में  
ब्यस्त है। पत्रावली दिनांक... 23/9/25  
को पेश हो।  
41

02/08/25  
पितासीन अधिकारी अन्य कार्यों में  
ब्यस्त है। पत्रावली दिनांक... 23/9/25  
को पेश हो।  
सिद्ध

3/11/24  
कावली इलाकी पेशिये पत्र  
पुस्तक 3481 वाले तम्र डिमार्स  
13/1/26 को पेश हो।

13/01/26  
पत्रावली पेश। कुकु-उपम  
कारने बहल दिनांक 20/02/26  
को पेश हो।

20/2/26  
पत्रावली पेश। कुकु-उपम  
भूलवाह अदम हाजिरी एवं अदम  
पेशी के तहत कारिज निम्न  
जा चुका है। अतः प्रापिका फा 2/2  
RTA व को कार्यवाही बंद की  
जाती है। पत्रावली नमूदा से  
अन होकर भूलवाह के साथ  
संलग्न हो।